विविध बैंक प्रकरण सं. 49/2021 (GCMS 2021/140) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) शाखा– 13–डी ब्लॉक, गांधी पार्क के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम
1. श्री हरविन्दर सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी ग्राम 10 एफ बड़ा, 3 के, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं मेन रोड, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर
2. श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री हरविन्दर सिंह निवासी 10 एफ बड़ा, 3 के, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सौरभ खण्डेलवाल उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण हरविन्दर सिंह एवं परमजीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में 30.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 03.06.2016 स्वीकृत किया था ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी हरविन्दर सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 11,(क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट), वार्ड नं. 17, दौलतपुरा रोड़, चक 10 एफ बड़ा, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 05.11.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को [illegible] राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त [illegible] अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस [illegible] 17.04.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस [illegible] उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.04.2021 को भिजवाया गया है। पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त हो गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी अप्रार्थीगण द्वारा **सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास रखी गई** अप्रार्थी हरविन्दर सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 11,(क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट), वार्ड नं. 17, दौलतपुरा रोड़, चक 10 एफ बड़ा, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** हरविन्दर सिंह एवं परमजीत कौर को 30.00 लाख रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 03.06.2016 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में** हरविन्दर सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 11,(क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट), वार्ड नं. 17, दौलतपुरा रोड़, चक 10 एफ बड़ा, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी के बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **05.11.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 17.04.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.04.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्टऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है एवं क्या अधिनियम के प्रावधनों की पालना की गई है अथवा नहीं?

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी हरविन्दर सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 11,(क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट), वार्ड नं. 17, दौलतपुरा रोड़, चक 10 एफ बड़ा, ग्राम मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.04.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.04.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण हरविन्दर सिंह एवं परमजीत कौर को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.04.2021 को भिजवाये गये है जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा पोस्ट [illegible] के ऑनलाईन ट्रेक के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त [illegible] **प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में इस तथ्य का कोई अंकन नहीं किया है कि अप्रार्थियों द्वारा नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्तियां या जवाब आदि प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं,? और यदि बैंक के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत हुई है**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

तो क्या उस पर विधिक रूप से कोई विचार किया गया है अथवा नहीं? यदि विचार किया गया है तो क्या उसकी सूचना ऋणियों को दे दी गई हैं अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं होता है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 14(vii) अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार से है :

> **14(vii) the objection or representation in reply to the notice received from the borrower has been consideration by the secured creditor and reasons for non-acceptance of such objection or rerpresentation had been comunicated to the borrower;**

इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14 के साथ प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण है और जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना होना प्रतीत नहीं होता है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ का न्यायिक दृष्टांत **2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr** भी अवलोकनीय है जिसके पैरा–13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (पूर्व में कॉपोरेशन बैंक) का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण है और जिससे उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना न होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के **प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का** धारा 14 का प्रार्थना पत्र **स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:10 IST
Reason: SelfAttested